

**Model Answer**

**Que. 'India urgently needs a refugee policy.' Discuss.**

According to the **United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)**, a *refugee* is defined as: "Someone who has been forced to flee their country because of persecution, war, or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so."

**Current Scenario and Legal Framework**

- **Absence of Dedicated Refugee Law**
  - Refugees in India are governed under the *Foreigners Act, 1946*, which fails to address their unique challenges, treating them as illegal immigrants.
- **Discriminatory Provisions in the CAA, 2019**
  - The Citizenship Amendment Act provides citizenship to persecuted religious minorities from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, excluding Muslims. This selective approach undermines India's secular ethos and raises concerns about discrimination.
- **Non-Signatory to International Conventions**
  - India has not signed the *1951 Refugee Convention* or its *1967 Protocol*. Consequently, there are no binding international obligations to protect refugees, leaving their status in India uncertain.

**Why India Needs a Refugee Policy**

- **Legal Clarity**
  - A specific refugee policy would distinguish between refugees and immigrants, ensuring targeted solutions for their respective needs.
- **Humanitarian Obligations**
  - A well-defined framework would reflect India's long-standing tradition of providing shelter to the persecuted and uphold human dignity. For example during the Sri Lankan Civil War, India sheltered thousands of Tamil refugees, offering those camps and basic facilities.
- **Regional Influence**
  - A robust refugee policy could deter oppressive regimes in neighboring countries from persecuting their populations, while also enhancing India's global standing as a responsible regional power.
- **Security and Resource Management**
  - Unregulated inflows can lead to social tensions, resource strain, and security concerns, particularly in sensitive border regions. A structured policy would enable better management and integration.

**Challenges in Formulating a Policy**

- **Political Sensitivities**
  - Refugee issues often intersect with communal and political interests, making consensus difficult.
- **Economic Strain**
  - Providing shelter and resources to large refugee populations can burden India's economy.
- **Security Concerns**
  - Refugee inflows may pose risks, such as infiltration by extremist groups or cross-border tensions.
- **Ambiguity in Legal Definitions**

- Indian law does not differentiate between refugees and other foreign nationals, leading to confusion in addressing their rights and needs. Overlapping responsibilities between central and state governments further complicate policymaking.

Enacting comprehensive legislation that aligns with constitutional principles and international standards is imperative. Establishing a National Refugee Commission and ratifying the 1951 Refugee Convention with necessary safeguards would strengthen India's refugee management framework. Balancing humanitarian responsibilities with security and economic considerations will ensure sustainable solutions. A robust policy will enhance India's global standing and safeguard the rights of the vulnerable.

## प्रश्न 'भारत को तत्काल एक शरणार्थी नीति की आवश्यकता है।' चर्चा करें।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के अनुसार, शरणार्थी की परिभाषा है: "ऐसा व्यक्ति जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। शरणार्थी को नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण उत्पीड़न का भय होता है। संभावना होती है कि वे घर वापस नहीं लौट सकते या ऐसा करने से डरते हैं।"

### वर्तमान परिदृश्य एवं विधिक ढाँचा

#### • समर्पित शरणार्थी कानून का अभाव

- भारत में शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत नियंत्रित किया जाता है, जो विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है और उन्हें अवैध अप्रवासी मानता है।

#### • CAA, 2019 में भेदभावपूर्ण प्रावधान

- नागरिकता संशोधन अधिनियम मुसलमानों के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। यह चयनात्मक दृष्टिकोण भारत के पंथनिरपेक्ष लोकाचार की नींव कमज़ोर करता है।

#### • अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हिस्सा नहीं

- भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नतीजतन, शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व नहीं है, जिससे भारत में उनकी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

### भारत को शरणार्थी नीति की आवश्यकता क्यों है?

#### • विधिक स्पष्टता

- एक विशिष्ट शरणार्थी नीति शरणार्थियों और अप्रवासियों के मध्य अंतर करेगी, जिससे उनकी संबंधित आवश्यकताओं के लिए लक्षित समाधान सुनिश्चित होंगे।

#### • मानवीय दायित्व

- एक स्पष्ट ढाँचा भारत की शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने और मानवीय गरिमा को बनाए रखने की दीर्घकालिक परंपरा को प्रतिबिंबित करेगा। उदाहरण के लिए, श्रीलंकाई गृहयुद्ध के दौरान, भारत ने हजारों तमिल शरणार्थियों को आश्रय दिया, उन्हें शिविर और मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कीं।

#### • क्षेत्रीय प्रभाव

- एक मजबूत शरणार्थी नीति पड़ोसी देशों में दमनकारी शासन को उनकी आबादी के उत्पीड़न से रोक सकती है, साथ ही एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को भी सुधार सकती है।

#### • सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन

- अनियमित अंतर्वाह सामाजिक और संसाधन सम्बन्धी तनाव और सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे सकता है, विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में। एक संरचित नीति बेहतर प्रबंधन और एकीकरण को सक्षम करेगी।

### नीति निर्माण में चुनौतियाँ

#### • राजनीतिक संवेदनशीलता

- शरणार्थी मुद्दे अक्सर सांप्रदायिक और राजनीतिक हितों से जुड़े होते हैं, जिससे आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है।

#### • आर्थिक तनाव

- एक वृहद् शरणार्थी आबादी को आश्रय और संसाधन उपलब्ध कराना भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन सकता है।
- **सुरक्षा चिंताएँ**
  - शरणार्थियों के आने से जोखिम पैदा हो सकते हैं, जैसे चरमपंथी समूहों द्वारा घुसपैठ या सीमा पार तनाव।
- **कानूनी परिभाषाओं में अस्पष्टता**
  - भारतीय कानून शरणार्थियों और अन्य विदेशी नागरिकों के मध्य अंतर नहीं करता, जिससे उनके अधिकारों और ज़रूरतों को संबोधित करने में मुश्किल होती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों के विचरण से नीति निर्माण और भी जटिल हो जाता है।

संवैधानिक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यापक विधि बनाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शरणार्थी आयोग की स्थापना और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ 1951 शरणार्थी सम्मेलन की पुष्टि करने से भारत के शरणार्थी प्रबंधन संरचना को मजबूती मिलेगी। सुरक्षा और आर्थिक विचारों के साथ मानवीय जिम्मेदारियों को संतुलित करने से स्थायी समाधान सुनिश्चित होंगे। एक मजबूत नीति भारत की वैश्विक स्थिति को सुधरेगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी।